



भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप-6

अभिस्वीकृति सं.
(कार्यालय द्वारा भरा जाएं)

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13 (1) और 26 देखिए)

पहली बार मतदाता या किसी एक निर्वाचन-क्षेत्र से किसी अन्य एक निर्वाचन-क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण
निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आसिफर सभा निर्वाचन-क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे नाम को पूर्वोक्त सभी क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए। (समुचित बाक्स पर सही का निशान लगाएं) पहली बार के मतदाता के रूप में या अन्य सभा क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान)

आज्ञापक विशिष्टियां

(क) नाम

(ख) उपनाम (यदि कोई हों)

(ग) आवेदक के नातेदार का नाम और उपनाम [(देखें मद (घ)]

(घ) नातेदारी की किस्म (समुचित बाँक्स पर सही का निशान लगाएं)

पिता माता पति पत्नी अन्य

(ङ) आयु (चालू कलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को

वर्ष मास

(च) जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष के प्ररूप में) (यदि ज्ञात हो)

/ /

(छ) आवेदक का लिंग (समुचित बाँक्स में सही का निशान लगाएं)

पुरुष स्त्री तृतीय लिंग

(ज) वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है।

गृह सं.

गली/क्षेत्र/स्थान

शहर/ग्राम

डाक घर

पिन कोड

जिला

राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र

(i) आवेदक का स्थायी पता	गृह सं.	
गली/क्षेत्र/स्थान		
शहर/ग्राम		
डाकघर	पिन कोड	<input type="text"/>
जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
(ज) ईपीआईसी सं. (यदि जारी किया गया है)		
वैकल्पिक विशिष्टियाँ	दृश्य दुर्बलता <input type="checkbox"/>	वाक् एवं सुनने की निःशक्तता <input type="checkbox"/>
(ट) निःशक्तता (यदि कोई हो) (समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएं)		गति विषयक निःशक्तता <input type="checkbox"/>
(ठ) ई-मेल (वैकल्पिक)		अन्य <input type="checkbox"/>
(ड) मोबाइल सं. (वैकल्पिक)	<input type="text"/>	
घोषणा : मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :		
(i) मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का ग्राम/शहर जिला राज्य है।		
(ii) मैं से (तारीख, मास, वर्ष) ऊपर (ज) में दिए गए पते वाले स्थान में से मामूली तौर से निवासी हूँ :		
(iii) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है;		
(iv) इस या किसी अन्य सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है। या		
• मेरा नाम राज्य के निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था। निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं अनुरोध करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए।		
• जो उचित न हो उस विकल्प को काट दें।		
मामूली रूप से निवास का पूर्व पता (यदि अन्य निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण आवेदन कर रहे हो)		
गृह सं.	गली/क्षेत्र/स्थान	
शहर/ग्राम		
डाकघर	पिन कोड	<input type="text"/>
जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
मैं इस बात से भिन्न हूँ कि ऐसा कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है, जिसके प्रति मैं यह जानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि यह मिथ्या है या उसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है।		
स्थान		
तारीख		आवेदक के हस्ताक्षर
क्षेत्र स्तरीय सत्यापन ऑफिसर की टिप्पणियाँ :		
की गई कार्रवाई के ब्यौरे (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाएगा)		
श्री/श्रीमती/कुमारी के निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रारूप 6 में आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार किया गया है। स्वीकार करने के [नियम 18/20/26 (4 के अधीन या अनुसरण में)] या नियम 17/20/26 (4) के अधीन अस्वीकार) विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं :		
स्थान :		
तारीख :	ईआरओ के हस्ताक्षर	ईआरओ की मुहर

लिए गए विनिश्चय की संसूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना है और आवेदक द्वारा दिए गए पते पर आवेदक को डाक से भेजा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी	का प्रारूप 6 में आवेदन	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चरपा किये जाने है।
वर्तमान पता, जहां आवेदक मामूली रूप से निवास करता है।	गृह सं.	
गली/क्षेत्र/स्थान		
नगर/गांव		
डाकघर	पिन कोड	<input type="text"/>
जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
को (क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को सभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग सं. के क्रम सं. रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।		
(ख) के कारण से अस्वीकार कर दिया गया है।		
तारीख :		निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर पता

अभिस्वीकृति/रसीद

अभिस्वीकृति सं. तारीख

श्री/श्रीमती/सुश्री का प्रारूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ है।
(आवेदक आवेदन की स्थिति की अभिस्वीकृति संख्या को निर्दिष्ट करते हुए जांच कर सकता है)।

ईआरओ/ईईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

आवेदन प्ररूप-6 भरने के लिए दिशा-निर्देश

प्ररूप-6

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें वे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। निर्वाचन-क्षेत्र के नाम का इस प्रयोजनार्थ दिए गए खाली स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. पहली बार के मतदाता के रूप में या दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र से स्थानांतरित होने की वजह से आवेदन करने वाले आवेदक को उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगाना चाहिए और घोषणा वाले भाग में पूर्ण विवरण भरना चाहिए अन्यथा, आवेदन प्रारम्भिक चरण में ही अस्वीकृत किया जा सकता है।
3. मद (क) से (ज) में विवरण दिए जाने वाले खाने अनिवार्य हैं और इसलिए, उपयुक्त मद के प्रति पूर्ण सूचना अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
4. मद (क) और (ख) : ठीक-ठीक नाम और वर्तनी, जो निर्वाचक नामावली और निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) में प्रकट होनी चाहिए, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पूरा नाम पहले बॉक्स में लिखा जाना चाहिए और उपनाम दूसरे बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। यहदि आवेदक का कोई उपनाम नहीं है तो उपनाम के बॉक्स को खाली छोड़ देना चाहिए। जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए सिवाय ऐसे मामले के जिसमें जाति के नाम का निर्वाचक के नाम या उपनाम के भाग के रूप में उल्लेख किया गया हो। पदवियों जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक अपने नाम का यदि संभव हो तो, अंग्रेजी और राज्य की राजभाषा दोनों में उल्लेख कर सकते हैं।
5. मद (ग) (घ) (नातेदार का नाम) : अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाना है विवाहित महिला आवेदक के मामले में पति के नाम का अधिमानतः उल्लेख किया जाना चाहिए। इस स्तंभ से अप्रयोज्य विकल्पों को काट दें।
6. मद (ङ) और (च) (आयु एवं जन्मतिथि) : जिस वर्ष के संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है उसकी जनवरी की पहली तारीख को आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। जन्म तिथि को दिए गए स्थान में दिनांक/महीना/वर्ष के रूप में अंकों में भरें। यदि आवेदक की आयु 18 और 21 वर्ष के बीच है तो जन्मतिथि का एक दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति संलग्न की जा सकती है:- नगर पालिका प्राधिकारियों या जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र या बपतिस्मा प्रमाण-पत्र; या आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए पिछले विद्यालय (सरकारी/मान्यता प्राप्त) से या कोई अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण-पत्र; या यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 या उससे ऊपर की कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे कक्षा 10 के अंक पत्र की एक प्रति देनी चाहिए बशर्ते उसमें जन्म तिथि के प्रमाणस्वरूप जन्मतिथि दी गई हो; या कक्षा 8 का अंकपत्र बशर्ते उसमें जन्मतिथि दी गई हो; या कक्षा 5 का अंकपत्र बशर्ते उसमें जन्मतिथि दी गई हो; या भारतीय पासपोर्ट; या पैन कार्ड; ड्राइविंग लाइसेंस; या यूआईडीएआई द्वारा निर्गत आधार पत्र/कार्ड।
 1. यदि उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो अनुबंध II (दिशा निर्देशों के साथ संलग्न) में दिए गए विहित फार्मेट में या तो आवेदक के माता-पिता के द्वारा (या थर्ड जेंडर श्रेणी में निर्वाचक की दशा में गुरु के द्वारा) एक घोषणा दी जा सकती है। जिन मामलों में आयु के प्रमाण स्वरूप माता-पिता की घोषणा दी जाती है उनमें आवेदक को सत्यापन के लिए अपने आपको बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। इसके अलावा, यदि उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो और माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं हों तो आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा या संबंधित नगर निगम/नगर पालिका समिति के सदस्य द्वारा दिया गया अपनी आयु का प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं।
 2. ऐसे मामलों में जिनमें आवेदक 21 वर्ष से अधिक आयु का हो और बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उतनी आयु का प्रतीत होता हो तो उसके द्वारा आयु की घोषणा आयु के प्रमाणस्वरूप ली जाएगी और कोई भी दस्तावेजी सबूत पर जोर नहीं डाला जाएगा। आयु अर्हक तिथि यानि उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख की स्थिति के अनुसार वर्षों और पूरे हो चुके महीनों में इंगित की जानी चाहिए जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है या किया जा रहा है।
 3. यदि आवेदक नए पंजीकरण के लिए पहली बार आवेदन कर रहा है और वह वर्ष की अर्हक तिथि को 21 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका नाम भारत में कहीं भी निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है तो अनुबंध-III के अनुसार फार्मेट में एक घोषणा दी जानी है अन्यथा, उसका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
7. मद (छ) (लिंग) : 'पुरुष'/'महिला'/'थर्ड जेंडर' के लिए दिए गए उपयुक्त बॉक्स में लिंग पर सही का नशान सुस्पष्ट रूप में लगाया जाना चाहिए।
8. मद (ज) (वर्तमान साधारण निवास का स्थान): आवेदक को, वे वर्तमान में जहां साधारण रूप से निवास कर रहे हैं और जिसे पंजीकृत करवाना चाहते हैं उसका पिन कोड सहित पूर्ण डाक पता, केवल प्रविष्टि विशेष के लिए दिए गए उपयुक्त स्थान में भरना चाहिए।
 - (1) मकान नं. : यदि आवेदक के निवास में मकान नम्बर नहीं हो तो 'मकान नंबर' के निमित्त दिए गए स्थान में इस बा का सुस्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए कि 'कोई भी मकान नंबर निर्दिष्ट नहीं किया गया है।'

(II) साधारण निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति संलग्न की जानी चाहिए:-

बैंक/किसान/डाकघर का चालू पासबुक; या राशन कार्ड; या पासपोर्ट; या ड्राइविंग लाइसेंस; या आयकर निर्धारण आदेश; या नवीनतम किराया करार; या उस पते के लिए या तो आवेदक के नाम में या उसके निकटतम नातेदार जैसे माता-पिता आदि के नाम में पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल; या आवेदक के नाम में साधारण निवास के पते पर भारतीय डाक विभाग के माध्यम से डेलीवर की गई कोई डाक/पत्र/मेल।

(III) बेघर भारतीय नागरिक/यौन कर्मी भारतीय नागरिक : शेड/फुटपाथ पर रहने वाले बेघर भारतीय नागरिक और यौन कर्मी भारतीय नागरिक जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए पात्र हैं बशर्ते वे दिए गए पते पर साधारण रूप से निवास कर रहे हों।

(IV) विद्यार्थी : होस्टल या मेस या लॉज में कमोबेश लगातार रहने वाले, अपने सामान्य घर या निवास के स्थान में केवल अल्प अवधियों के लिए जाने वाले विद्यार्थी, यदि वे अन्यथा पात्र हों, ऐसे स्थान के साधारण रूप में निवासी होने के रूप में अभिनिर्धारित किए जा सकते हैं जहां होस्टल या मेस अवस्थित हैं ऐसे विद्यार्थियों को जो अपने आपको होस्टल/मेस में पंजीकृत करवाना चाहते हैं। प्ररूप 6 के साथ प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/निदेशक/रजिस्ट्रार/शैक्षणिक संस्थाओं के डीन द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित यथार्थ घोषणा (अनुबंध IV के रूप दिए गए नमूने के अनुसार) संलग्न करनी होगी।

9. फोटोग्राफ : विनिर्देशन (3.5 सेमी द 3.5 सेमी के साथ 200 डीपीआई रिजॉल्यूशन) का हाल का पासपोर्ट साइज कलर फोटो प्ररूप में इस प्रयोजनाथ दिए गए स्थान में चिपकाया जाना चाहिए। फोटो का निर्वाचक नामावली में आवेदक की छवि को मुद्रित करने और एपिक जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फोटो में आवेदक के सिर और कंधों के ऊपरी भाग का क्लोज-अप दर्शाया जाएगा। चेहरा चित्र के ऊर्ध्वाधर आयाम के 75 प्रतिशत को लेगा। फोटो शार्प फोकस में होना चाहिए, समुचित चमक एवं वैषम्य के साथ सिकुड़न एवं स्याही के निशान से मुक्त उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए और निर्वाचक के चेहरे की प्राकृतिक त्वचीय रंगत दिखनी चाहिए और विशिष्टताएं सुस्पष्ट रूप में पहचाने जाने योग्य होनी चाहिए। यह सहज अभिव्यक्ति एवं बंध मुख के साथ निर्वाचक को सीधे कैमरा देखते दिखाएगी। फोटोग्राफ निर्वाचक को खुली आंखों में और आंखों को ढकने वाली किसी भी केश/टोपी/टोप/पगड़ी/आवरण/छाया/प्रतिबिंब आदि के बगैर दिखाएगा। यदि निर्वाचक चश्मा पहनता है तो फोटोग्राफ को आंखें ख्यमों में प्रतिबिंबित कोई भी रोशनी के बगैर सुस्पष्ट रूप में दर्शानी चाहिए। चश्मों में रंजित लेंस नहीं होने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चश्मों के फ्रेम निर्वाचक की आंखों के किसी भी हिस्से को नहीं कवर करें। फोटोग्राफ की समतल, हल्के रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए और निर्वाचक के साथ और कोई व्यक्ति या वस्तु दृश्यमान नहीं होनी चाहिए।

10. एपिक :

1. जब कभी भी किसी भी भारतीय नागरिक का नाम निर्वाचक नामावलियों में पहली बार शामिल किया जाता है, नया एपिक बिना किसी पृथक आवेदन के स्वमेव जारी कर दिया जाएगा और उसे उचित पावती के अधीन स्पीड के माध्यम से निःशुल्क डेलीवर कर दिया जाएगा।

2. स्थान परिवर्तित होने पर प्रतिस्थापित एपिक : यदि आवेदक ने अपना पता परिवर्तित कर लिया है और ऐसे परिवर्तन पर प्ररूप 6 या प्ररूप 8क में आवेदन कर रहा है तो एपिक नं., यदि उसे पूर्ववर्ती निर्वाचन-क्षेत्र/पते पर पहले ही जारी किया गया है, का उपयुक्त स्थान पर उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि वह प्रतिस्थापन एपिक नए पते पर चाहता है तो उसे उसके लिए प्ररूप 6 या प्ररूप 8क के आधार पर नए स्थान पर पंजीकरण के बाद प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क एवं पुराने एपिक के साथ, प्ररूप एपिक-001 (अनुबंध V के रूप दिए गए फॉर्मेट के अनुसार) में आवेदन करना चाहिए।

11. वैकल्पिक विवरण

मद (ट) और (ड) में विवरण दिए जाने वाले खाने वैकल्पिक हैं; हालांकि, यह आवेदक के हित में है कि वह इन मदों में सूचना उपलब्ध कराए ताकि निर्वाचन प्राधिकरीगण नागरिक सेवाएं जैसे आवेदन प्ररूप, निर्वाचकों को एपिक भेजे जाने वाली सूचना/नोटिससों को जारी करने और निर्वाचनों के दौरान मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सहायता प्रदान करने, में सक्षम हो सकें।

12. घोषणा

1. "घोषणा" भाग में सभी प्रविष्टियां सभी दृष्टियों से अनिवार्य रूप से पूरी की जानी चाहिए। कृपया वह तारीख निर्दिष्ट करें जब से आवेदक वर्तमान में दिए गए पते पर निवास कर रहा है यदि उसे तारीख याद न हो तो उस महीने एवं वर्ष का उल्लेख किया जाना चाहिए जब से वह उस स्थान पर निवास कर रहे हैं। यदि उसका नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पहले से शामिल है तो उस पूर्ववर्ती निर्वाचक क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। उसके पिछले पते का पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए अन्यथा, उसका आवेदन प्रारम्भिक चरण में ही अस्वीकृत किया जा सकता है। वे विकल्प जो सुसंगत नहीं हैं साफ-साफ रूप में काट दिए जाने चाहिए। कृपया नोट करें कि घोषणा अंश में कोई भी गलत कथन देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है।

2. सेवा कार्मिक को, जो शांति स्थल (पीस स्टेशन) में तैनाती के अपने स्थान पर निर्वाचक नामावली में सामान्य निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे प्ररूप-6 के साथ एक घोषणा (अनुबंध-1 में) प्रस्तुत करनी है।